25.1.202	वकील फरीकेन उपस्थित। मजीद व बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हमशील दाखिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
31/2012	2012/00080	19.03.2012

1. ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मंदिर कल्याण राय जी राजमहलो के सामने चौबेपाडा करौली तहसील करौली जिला करौली जरिये अहतमाम पुजारी नेक्सट फैण्ड सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 लक्ष्मीकान्त शर्मा जाति बाहम्ण निवासी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली तहसील करौली जिला करौली।

—वादी

बनाम

1. चतरू पुत्र लालजी जाति कोली निवासी मण्डरायल रोड करौली तहसील करौली जिला करौली।
2. घसीडा पुत्र रघुनाथ आयु 45 साल जाति कोली निवासी पांचना कॉलोनी के पीछे कोली बस्ती करौली तहसील करौली जिला करौली।
3. श्यामलाल पुत्र रघुनाथ आयु 43 साल जाति कोली निवासी पांचना कॉलोनी के पीछे कोली बस्ती करौली तहसील करौली जिला करौली।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः 25.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 8253,8254 किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 4 विस्वा कस्वा करौली वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2015 पेश की है । उक्त आराजीयात को सायल मंदिर द्वारा गैरसायलान व वुधा पुत्र मांग्या तेली को विधि की किसी भी रिति से हस्तान्तरण नही किया है ना पंजीयन कराया है। सायल मंदिर का पुजारी व व्यवस्थापक है। सायल मंदिर नावालिग है। जिसकी भूमि पिता न्यायालय के इजायत के बिना हस्तान्तरण नही हो सकती है। गैर सायलान के हक में हुऐ खातेदारी अधिकार सायल मंदिर पर प्रभावहीन व शून्य है बाध्यकारी नही है। गैर सायलान अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज के कारण वदनीयति से भूमि के मोती रकम लेकर विक्रय करने पर उतारू हो रहे है और भूमाफियों से बातचीत प्रारम्भ कर दी है और पैठों के वल पर विक्रय कर कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित कराकर [illegible] में लेने पर भूमि को नष्ट करने पर उतारू है। गैर सायलान की इस अन[illegible]कार[illegible]र्यवाही से सायल के हक हंकुकों पर आधात है सायल को अपूर्णीय [illegible] अ[illegible] सायल गैर सायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] कराने के [illegible] है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने निवेदन किया है। प्रार्थना [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैर सायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैर सायलान ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि ना तो कोई कल्याण रामजी का मंदिर है ना ही वादग्रस्त आराजीयात ठाकुरजी की खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज है।

वादग्रस्त आराजीयात वुधा पुत्र मांग्या तेली के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। और वुधा के हक में खातेदारी इन्द्राज है। वुधा खातेदार काश्तकार था इसलिस उसके अधिकारों पर मंदिर के कोई हक हकूक प्रभावहीन है। सायल कोई खातेदारी धोषणा कराने का अधिकारी नही है। सायल का आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है इसलिये सायल को दावा लाने का कोई अधिकार नही है। वुधा के हक में खातेदारी इन्द्राज विधि अनुसार हुऐ है तहसीलदार को रेफरेन्स करने का कोई हक नही है। वादग्रस्त आराजीयात गैरसायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसे हर प्रकाार से हस्तान्तरण करने का गैरसायलान को हक हासिल है। दिनांक 11.03.2012 को गैरसायलान न01 ता 03 से कोई बेचान बाबत नही कहा सारी बात मनगढत व झूठी है वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्सा को गैरसायल न02 व 03 ने वंशी खातेदार से रजिस्टर्ड वयनामा से खरीद किया है और गैरसायलान ने प्लाट बना कर वय कर दिया है वंशी फौत हो गया उसके वारिस को सायल ने पक्षकार नही बनाया है प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2015 व सम्बत 2064 से 2067 का अवलोकन व विवेचन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात सम्बत् 2015 मं कृषक के कॉलम न05 में वुधा पुत्र मांग्या तेली निवासी करौली के नाम दर्ज है कॉलम न02 में भोक्ता सायल मंदिरके नाम दर्ज हैं। सायल व गैरसायलान के मध्य भूमि के खातेदारी अधिकारी उभयपक्ष की साक्ष्य आने के बाद दावा के अंतिम निर्णय से तय होने है। इस प्रकार सायल का प्राइमाफेसी केस प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है मूल दावा के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा के लिए गैरसायलान को भूमि को रहन वय नही करने को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा न. 8253,8254 कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 4 विस्वा कस्बा करौली को रहनवय नही करें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner